



भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति

18-ए, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-16.

सं.-उ.क्षे.वि.स./प्रशा./आई.सी.सी./400/64/2019/12010-16

दिनांक 4 अक्टूबर, 2019

आदेश

कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अधिनियम के परिणामस्वरूप, जो प्रभावी रूप से 9 दिसंबर, 2013 को लागू हुआ एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उ.क्षे.वि.स. सचिवालय में एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। उ.क्षे.वि.स.सचिवालय के आई.सी.सी.का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:-

पीठासीन अधिकारी	1. श्रीमती वंदना सिंघल, मुख्य अभियंता, के.वि.प्रा.।
सदस्य	2. प्रोफेसर विभा मौर्या, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ, 36 रविशंकर शुक्ल लेन, नई दिल्ली -110003. 3. श्रीमती अनीता समतानी, निजी सचिव, उ.क्षे.वि.स.। 4. सुश्री हेमलता, अवर श्रेणी लिपिक, उ.क्षे.वि.स.।

2. समिति द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के बारे में आई शिकायतों की छान-बीन की जाएगी और आवश्यकतानुरूप तहकीकात की जाएगी। समिति द्वारा उक्त की गई कार्यवाही के निष्कर्षों को सदस्य सचिव, उ.क्षे.वि.स.को सौंपा जाएगा।

3. समिति सदैव स्वयं को प्रभावी और क्रियाशील बनाए रखेगी। समिति की बैठक उ.क्षे.वि.स. सचिवालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली में तिमाही में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाएगी और विशाखा पर अदालत के निर्णयानुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करेगी, भले ही उस दौरान कोई मामला नहीं चल रहा हो।

4. समिति को सचिवीय सहायता उ.क्षे.वि.स. के प्रशासन प्रभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. समिति द्वारा सदस्य सचिव, उ.क्षे.वि.स. को, प्राप्त शिकायतों पर दिए गए सुझाव और की गई कार्रवाइयों की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।


सहायक सचिव

सेवा में,

1. उ.क्षे.वि.स. की आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्य।
2. सदस्य सचिव, उ.क्षे.वि.स.।
3. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के प्रमुख निजी सचिव।
4. महासचिव, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ, 2253-ई, शादी खानपुर, न्यू रंजीत नगर, नई दिल्ली -110008.



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

विद्युतमंत्रालय

Ministry of Power

उत्तरक्षेत्रीयविद्युतसमिति

Northern Regional Power Committee

18-ए, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय,

18-A, Shaheed Jeet Singh Marg, Katwaria Sarai, New Delhi

F.No.-NRPC/ADM/ICC/400/64/2019/12010-16

Dated 04 October 2019

ORDER

Consequent upon enactment of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 which came into force w.e.f. 9th December, 2013 and with the approval of the competent authority, it has been decided to constitute the Internal Complaints Committee (ICC) in NRPC Sectt. The composition of the ICC of NRPC Sectt., so, constituted, will be as under: -


Presiding Officer	1. Smt. Vandana Singhal, Chief Engineer, CEA
Member	2. Prof. Vibha Maurya, All India Democratic Women's Association, 36 Ravi Shankar Shukla Lane, New Delhi-110003 3. Smt. Anita Samtani, PS, NRPC 4. Ms. Hemlata, LDC, NRPC

2. The Committee will examine the complaints regarding Sexual Harassment of Women Employees(s) and, if necessary, Conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to Member Secretary, NRPC.

3. The Committee will make itself effective and functional at all times. It should also meet once in a quarter even if there is no live case and review the preparedness to fulfill all requirements of Vishaka Judgement in the NRPC Secretariat, Katwaria Sarai, New Delhi.

4. The Secretarial assistance to the Committee will be provided by Administration Division of NRPC.

5. The Committee will also submit an annual report of the complaints received and action suggested by the Committee to Member Secretary, NRPC.


04.10.2019
Assistant Secretary

To,

1. Presiding Officer and Member of the Internal Complaints Committee of NRPC
2. Member Secretary, NRPC
3. PPS to Chairperson, CEA
4. General Secretary, All India Democratic Women's Association, 2253-E, ShadiKhanpur, New Ranjit Nagar, New Delhi-110008